कार्यालय आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर–302005
(E-mail I.D. : commradt-cexjpr@nic.in)

फा.सं. I–7(26)प्रशा./अंकेक्षण/2017/ दिनांक : .04.2017

वाहन किराये पर लेने हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2017–18 (01 जून, 2017 से 31 मार्च, 2018) के लिए राजकीय/कार्यालय कार्यो के लिए आठ (08) नॉन ए. सी. वाहन (इनोवा/जाईलो/मारूती एस.एक्स. 4/ होण्डा सिटी/इटियोस/स्विफ्ट डिजायर या समानान्तर) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित वाहन प्रादाता/एजेंसी/फर्मो से Online E-procurement द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण प्रशासनिक अधिकारी (मु.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर से कमरा नं. 0.21 से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सांय 17.30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट cexauditjaipur.gov.in or https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

हस्ता./–
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

मुख्यालयः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय,
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर–05

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से **इस कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2017–18 (01 जून, 2017 से 31 मार्च, 2018)** के लिए राजकीय/कार्यालय कार्यो के लिए आठ (08) नॉन ए.सी. वाहन (इनोवा/जाईलो/मारूती एस.एक्स. 4/ होण्डा सिटी/इटियोस/स्विफ्ट डिजायर या समानान्तर) मय वाहन चालक किराये पर लेने हेतु **निविदा प्रक्रिया, योग्य निविदा की शर्तें एवं वाहन किरोय पर लेने बाबत् आवश्यक शर्तें निम्न हैं :**

(अ) निविदा प्रक्रिया –

निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी (1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा (in BOQ Format) । तकनीकी निविदा (अनुलग्नक 'ब'), वित्तीय निविदा (अनुलग्नक 'स') एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'द') के लिए निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग–अलग संलग्न करना होगा। किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Sr. No	Category	Premises	No. of Vehicle required	Usage	Estimated amounts
1	Midsize vehicle (Honda City, Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, Maruti SX4, Innova or its equivalent)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर–05	02 (Two)	To be used upto 30/31 days subject to maximum of 2500 kms for Commissioner and 2000 kms for others in a month.	Rs. 40,000 (each) (Exclusive of Service Tax)
2	Small size vehicle (Maruti Swift Dezire, Etios, Hyundai, Xcent, Honda Amaze, Tata Manza or its equivalent)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, सर्किल जयपुर–I/II, जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी/उदयपुर	06 (Six)	To be used upto 20/25 days subject to maximum of 2000 kms in a month.	Rs. 30,000 (each) (Exclusive of Service Tax)

निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) निवेदन केवल सी.पी.पी. पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या सी.पी.पी. पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए सी.पी.पी. पोर्टल हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

निविदा से संबंधित समय सीमा का विवरणः–

Published Date	25th April, 2017 (03.00 P.M.)
Bid Document Download Start Date	26th April, 2017 (10.00 A.M)
Bid Submission Start Date	26th April, 2017 (10.00 A.M.)
Bid Document Download End Date	17th May, 2017 (01:00 P.M.)
Bid Submission End Date	17th May, 2017 (02:00 P.M.)
Technical Bid Opening Date	19th May, 2017 (02:00 P.M.)
Financial Bid Opening date (Those bidders who have qualified in the Technical Bids)	25st May, 2017 (04: 00 P.M.)

(ब) वाहन किराये पर लेने से संबंधित निबंधन एवं शर्तें –

1. निविदाकर्ता को चाहिए कि वह अनुलग्नक 'अ' में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तों से संतुष्ट होने पर ही अपनी निविदा प्रस्तुत करे। इस हेतु निविदादाता अनुलग्नक 'अ' के निबंधन एवं शर्तों पर पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंतिम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मय मोहर के हस्ताक्षर करेगा। निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए। निविदा के साथ अपलोड किये गये सभी दस्तावेज प्रमाणित कर आवेदन की अंतिम तिथि के तीन दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा करवाये।

2. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि **रू. 1,000/– आवेदन राशि** का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्राय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जयपुर के नाम जो एस. बी. आई., जयपुर में देय होगा।

3. निविदाकर्ता को सेवाकर में पंजीकृत होना चाहिए और उसे इस कार्य का 5 वर्ष का अनुभव व किसी केन्द्र/राज्य सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इस कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) होना चाहिए। निविदाकर्ता का रजिस्ट्रेशन किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने की श्रेणी (ट्यूर ऑपरेटर) में ही होना चाहिए, अन्य कोई रजिस्ट्रेशन जैसे कैब सर्विस रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होंगें।

4. निविदाकर्ता को, भविष्य निधि में पंजीकृत होना चाहिए जो कम से कम 2 वर्ष पूर्व पंजीकृत किया गया हो तथा निविदाकर्ता द्वारा श्रम कानून की पालना के साक्ष्य दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करेगा।

4. यह कि सेवा प्रदाता फर्म/वाहन मालिक के पास कम से कम 10 वाहनों से अधिक वाहन होना आवश्यक है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

5. निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनो रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. इसके साथ ही निविदादाता को विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणी व पिछले वित्तीय वर्ष की लेखों (Audited Balance sheet) की प्रति एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा प्रमाणित) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

7. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि **रू. 60,000/— अमानत राशि** का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जयपुर के नाम जो एस. बी. आई., जयपुर में देय होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाए पाई गई या सफल निविदा दाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। संविदा अवधि समाप्ति के पश्चात् सेवाप्रदाता को अमानत राशि लौटा दी जायेगी। अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी। जबकि सफल निविदादाता विभाग के सुपुर्द की गई अमानत राशि रूपये 60,000/— के डिमाण्ड ड्राफ्ट को कार्यारम्भ के एक माह की अवधि के अन्दर—अन्दर बैंक गारण्टी/सावधि जमा के रूप में प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जयपुर के नाम परिणित करवाकर जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह कि निविदाकार पंजीकृत और सुस्थापित कार किरायादाता/ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म होना चाहिये तथा उसके पास किराये पर देने के लिए पर्याप्त संख्या में नवीनतम मॉडल (तीन वर्ष से पुराना ना हो) की गाड़ियाँ होनी चाहिये। निविदाकार के स्वामित्व वाली गाड़ियों की सूची और इस आयुक्तालय को उपलब्ध करवाई जाने वाली गाड़ियों का विवरण इस निविदा दस्तावेज के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना चाहिये।

9. यह कि निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेंस (जिसकी छायाप्रति द्वितीय पक्षकार को प्रस्तुत की जायेगी) के साथ—साथ कम से कम पाँच साल का अनुभव होना चाहिये। वाहन चालक को यातायात के नियमों का पालन और सरकारी प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये अन्य विनियमों का पालन करना होगा। प्रत्येक वाहन चालक ड्यूटी के दौरान सभी शिष्टाचार और नवाचार प्रोटोकॉल का पालन करेगा और साफ एवं उचित वर्दी धारण करेगा।

10. यह कि निविदाकार एवं वाहन चालक के पास चौबीसों घंटे सम्पर्क करने के लिये टेलीफोन/मोबाईल होना चाहिये, जिसका इस कार्यालय द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. यह कि वाहन केन्द्र/राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारी से पंजीकृत होना चाहिये तथा इस आशय का निविदाकार को प्रमाण—पत्र भी देना होगा। वाहन अवातानुकूलित, अच्छी कण्डीशन तथा सुसजिज्त होना चाहिये। वाहन साफ, स्वच्छ एवं शाइनिंग बॉडी के साथ चालू हालात में होना चाहिये तथा भीतरी भाग पर्दे/सफेद टॉवेल/परफ्यूम इत्यादि से युक्त होना चाहिये।

12. यह कि वाहन सदैव पर्याप्त ईंधन युक्त होना चाहिये तथा यदि आपातकालीन परिस्थितियों में किसी अधिकारी द्वारा ईंधन भरवाया जाता है तो इसका पुर्नभरण सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।

13. यह कि यदि वाहन की हालात संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो वह तुरन्त प्रतिस्थापन के लिए वापस लौटा दिया जायेगा। यदि उस समय कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो इस

कार्यालय को बाजार से वाहन किराये पर लेने का अधिकार होगा और कार्यालय द्वारा चुकाई गई कीमत निविदाकार से ली जायेगी।

14. यह कि उपलब्ध करवाई गई कार के खराब होने/सर्विस इत्यादि पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी वाहन उपलब्ध करवाने/अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

15. यह कि वाहन का करार अवधि के दौरान रिस्क कवर करने के लिए नियमानुसार कॉम्प्रेहेन्सिव बीमा होना चाहिये तथा दुर्घटना की दशा में किसी भी प्रकार के दावे के निस्तारण के लिये सेवा प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। इस कार्यालय द्वारा केवल निर्धारित किराये का भुगतान किया जायेगा। अन्य देनदारियॉ जैसे कि वाहन चालक का मासिक वेतन, गाड़ी की मरम्मत, रख–रखाव, पेट्रोल/डीजल, ऑयल, टैक्स, इन्श्योरेन्स एवं दुर्घटना दावों आदि के खर्चे निविदाकार द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

16. यह कि उद्धृत की जाने वाली दर (सेवाकर को छोड़कर) 2500 कि.मी आयुक्त महोदय के लिए एवं अन्य अधिकारियों के लिए 2000 कि.मी. होनी चाहिये तथा 2000 कि.मी. के पश्चात् अतिरिक्त दूरी के लिये राशि क्रमशः 11 रू./कि.मी. व 8.50 रू/कि.मी. देय होगी। Night Charges के लिए 200 रू/रात्रि के हिसाब से देय होगी। भी निविदाकार को दर उद्धृत करनी होगी।

17. यह कि बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। टाईप बिलों को अधिमान्यता दी जायेगी, जो कि तीन प्रतियों में होना चाहिये। बिल इस कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

18. यह कि सेवाकर यदि देय है तो इसका विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा उद्धृत दरों में विशेषतया सेवाकर का उल्लेख होना चाहिये। यदि प्रचालक वैध सेवाकर पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने में असफल रहता है तो किसी भी सेवाकर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

19. यह कि निविदाकार द्वारा देय टी.डी.एस. एवं उस पर सैस बिल राशि से कटौती की जायेगी तथा टी. डी.एस. सर्टिफिकेट बाद में निविदाकार को दे दिया जायेगा।

20. यह कि प्रत्येक वाहन को मील दूरी और समय दर्शाने वाला दैनिक अभिलेख लॉग बुक में उल्लेख करना होगा तथा लॉग बुक प्रति दिन संवीक्षा के लिए अधीक्षक (मुख्यालय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर के वाहन प्रभारी के पास प्रस्तुत करनी होगी।

21. यह कि किराये पर लगाया गया वाहन एक बार शुरू कर देने पर उसके चालक सहित तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक इस कार्यालय द्वारा निवेदन नहीं किया जाये। वाहन किसी भी दिन और किसी भी समय अधिकारी की इच्छानुसार उपलब्ध करवाया जायेगा।

22. यह कि निविदाकार द्वारा इस कार्यालय को राजकीय कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाहन राजस्थान राज्य एवं राज्य से बाहर ट्यूर पर उपलब्ध करवाया जायेगा।

23. यह कि वाहन पर लगाये गये सभी टैक्स/टोल टैक्स राजस्थान में निविदाकार द्वारा वहन किया जायेगा। निविदाकार बाद में सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में पूर्नभरण हेतु प्रस्तुत करेगा। यदि वाहन राजस्थान राज्य से बाहर जायेगा तो दूसरे राज्य का टैक्स, टोल टैक्स पार्किंग इस कार्यालय द्वारा देय होगें।

24. यह कि करार के निर्धारण पर करारदाता को इस कार्यालय में वाहन पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं बीमा पॉलीसी की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

25. यह कि अनुबंध 01 जून, 2017 से 31.03.2018 तक होगा, जोकि संतुष्टिपूर्ण सेवा को मद्देनजर रखते हुये आपसी सहमती से एक और वर्ष के लिये/आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

26. यह कि श्रीमान् संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर के पास अनुबंध को किसी भी समय एक माह का पूर्ववर्ति नोटिस देकर बिना किसी कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। यदि सेवा प्रदाता किसी या सभी वाहनों को हटाना चाहता है तो उसे भी एक माह का पूर्ववर्ति नोटिस देना होगा।

27. यह कि वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या गाड़ी की सही सर्विस नहीं होने पर इस कार्यालय को किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. यह कि निविदाकार और वाहन चालक ग्राहक के अनुदेशों के साथ–साथ वाहन के लिये नियत अधिकारियों के अनुदेशों को मानने के लिये बाध्य होंगे।

29. यह कि ग्राहक की देनदारियाँ केवल करार मूल्य तक ही सीमित हैं।

30. यह कि सामान्यतया कार्य समय प्रातः 9:00 बजे से सॉय 9:00 बजे तक होगा। निविदाकार को अत्यावश्यक परिस्थितियों में वाहन को बिना अतिरिक्त लागत के अधिक समय के लिये भी उपलब्ध करवाना होगा। रविवार के अतिरिक्त और कोई अवकाश नहीं होगा। वाहन चालक को अवकाश के दिन भी कार्य पर आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है।

31. यह कि वाहन की मीटर रीडिंग की गणना कार्यालय परिसर से शुरू होकर सायँ वापसी में कार्यालय परिसर तक ही मान्य होगी।

32. यह कि इस करार की अवधि के दौरान कोई मामला जोकि विशेषकर इस करार में समाहित नहीं है, इस विभाग द्वारा तय किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम एवं निष्कर्षित होगा।

33. यह कि किसी भी तरह के विवाद की दशा में इस विभाग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

34. यह कि ऊपर वर्णित शर्तों के अलावा कोई भी अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तों पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

35. यह कि निविदाकार को निविदा के साथ उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

36. यह कि निविदाकार किसी दिन ऊपर वर्णित निबंधन व शर्तों का पालन करने में असफल होता है तो प्रत्येक दिन प्रत्येक वाहन पर 500/— रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

37. यह कि श्रीमान् संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर के पास सभी या कोई निविदा को अस्वीकृत करने या एक से अधिक निविदा स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो से सहमत हैं।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

मोहर ....

तकनीकी निविदा प्रोफार्मा

<table>
<tr><td>01</td><td colspan="2">फर्म/एजेंसी का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>02</td><td colspan="2">डायरेक्टर/पार्टनर्स/प्रोपराईटर का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>03</td><td colspan="2">पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नम्बर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>04</td><td colspan="2">सम्पर्क व्यक्ति का विवरण
(नाम, पता, टेलीफोन एवं फैक्स नम्बर)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>05</td><td colspan="2">आयकर पैन नम्बर
(फोटो प्रति संलग्न करें एवं विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणिका संलग्न करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>06</td><td colspan="2">सेवा कर पंजीकरण नम्बर
(फोटो प्रति संलग्न करें एवं विगत तीन वर्षों की सेवाकर विवरणिका संलग्न करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>07</td><td colspan="2">EMD of Rs. 60,000/- का विवरण</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>08.</td><td colspan="2">वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यानुभव के वर्षों की संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">09.</td><td colspan="5">पूर्व में लिए गये ठेकों का विवरण :</td></tr>
<tr><td>विभाग/पार्टी का नाम एवं पता</td><td>उपलब्ध करवाई गई कारों की संख्या</td><td>ठेके की राशि प्रति कार</td><td>ठेका समाप्ति का विवरण</td><td>अन्य विशेष विवरण</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">अन्य सरकारी/पब्लिक अण्डर टेकिंग जहाँ वर्तमान में वाहन उपलब्ध कराये गये हों की सूची मय प्रमाण पत्र</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">Make/Model :

Registration No.

Copies of RC Books of Vehicles proposed to be hired with copies of the current Insurance Policy to be enclosed</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">वाहनों को उपलब्ध कराने से संबंधित लंबित कानूनी विवादों का ब्यौरा, यदि कोई हो</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिये गये विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो वार्षिक अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

मोहर ....

किराये पर वाहन लिए जाने हेतु वित्तीय निविदा फार्म

Price bid in the form of BOQ_XXXX .xls

1	निविदा दाता का नाम				
2	वर्तमान पता				
3	स्थाई पता				
4	टेलीफोन नं.				
5	ठेकेदार के पास कुल उपलब्ध कारों की संख्या एवं किस्म				
6	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का विवरण एवं मॉडल				
7	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन चालको की योग्यता एवं अनुभव :				
	वाहन चालक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वाहन चलाने का अनुभव	विशेष विवरण	
8	पूर्व मे लिए गये ठेको का विवरण :				
	विभाग/पार्टी का नाम एवं पता	उपलब्ध करवाई गई कारों की संख्या	ठेके की राशि प्रति कार	ठेका समाप्ति का विवरण	अन्य विशेष विवरण
9	निविदा हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरें				
अ	निविदा की राशि (प्रति कार)				
ब	नाईट होल्ड चार्ज (जयपुर से बाहर जाने पर देय) की राशि				
स	ओवर टाईम चार्ज (निर्धारित 12 घंटे के पश्चात अथवा अवकाश को ड्यूटी के समय) प्रति घंटा दर				
द	अतिरिक्त किमी चार्ज (एक माह में दो हजार पांच सौ किमी आयुक्त महोदय के लिए एवं अन्य के लिए दो हजार से अधिक होने पर) प्रति किमी की दर				
10	सेवाकर रजिस्ट्रेशन नम्बर (अनिवार्य)				

मैंने निविदा से संबंधित समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली हैं। मैं सभी शर्तों का पूर्णतया स्वीकृत करते हुए अपनी उपरोक्त दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर मय तिथि ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

फर्म का नाम ....

मोहर ....

अनुलग्नक 'द'

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,
____
____
____

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: ________________________

Name of Tender / Work: -
____
____
____
____

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:
____
____

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _______ to ______ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc .,), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)